-1-

188

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर

अपील-2372-I-16

राजस्व अपील क्रं. ..../2015

अपीलार्थीः- बसोरी कुशराम पिता श्री चमरूलाल गौंड़
निवासी ग्राम देवरीकला
तहसील कुण्डम ज़िला जबलपुर।

अनावेदक - 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

2. श्री विनोद कुमार यादव पिता श्री देवीप्रसाद यादव
निवासी मकान नं. 81 लार्डगंज ,तहसील व जिला जबलपुर

अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 के तहत

अपीलार्थी यह अपील न्यायालय कलेक्टर महोदय जबलपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 68/अ-21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत कर रहे हैं:-

अपील के तथ्य

1. यह कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम देवरीकला पटवारी हल्का नंबर 21 राजस्व निरीक्षण मण्डल इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित खसरा नंबर 437/2 रकवा 1.600 हेक्टेयर भूमि विक्रय करने हेतु अनुमति के लिये आवेदन श्रीमान् कलेक्टर जबलपुर के समक्ष किया गया था, जिसे श्रीमान् कलेक्टर जबलपुर के आदेश में अंकित आधारों पर आवेदन निरस्त कर दिया गया है।

2. यह कि माननीय कलेक्टर जबलपुर द्वारा अदम पैरवी में प्रकरण खारिज किया गया है।

अपील के आधार

1. यह कि अपीलार्थी द्वारा विक्रय की जा रही भूमि पर पर्याप्त खेती के साधन न होने के कारण तथा खेती की सुरक्षा के साधन, अनाज भण्डारण के पर्याप्त जगह तथा सिंचाई के साधन न होने के कारण उक्त भूमि पर खेती करने से लागत के अनुपात में उपज की पैदावार नहीं होती है।

2. यह कि इस भूमि के विक्रय का प्रस्ताव आवेदक द्वारा अपने स्वजातीय वर्गीय इच्छुक क्रेता से भी किया, परन्तु किसी के द्वारा इस भूमि को क्रय करने की इच्छा नहीं की गई है।

3. यह कि उक्त भूमि श्री विनोद कुमार यादव पिता श्री देवीप्रसाद यादव निवासी मकान नं. 81 लार्डगंज तहसील व जिला जबलपुर द्वारा क्रय किये जाने का अनुबंध किया गया है और बयाना राशि रूपये 25,000/- मेरे द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। क्रेता द्वारा अन्य सजातीय वर्ग की तुलना में अधिक विक्रय मूल्य की अदायगी की जा रही है , उनके द्वारा वर्तमान बाजार भाव से भी अधिक मूल्य मुझे दिया जाना तय किया है।

4. यह कि अपीलार्थी के पास ग्राम देवरीकला प.ह.नं. 21 राजस्व निरीक्षक मण्डल इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में खसरा नंबर 79/1, 82/1, 331/1, 333/1,

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST. M.P. Regd. No. 7829 GOVT. OF INDIA

12 JUL 2016

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 2372–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–7–16	यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 68/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20–6–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ताकओं के तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । प्रकरण दिनांक 20–6–16 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाता हूँ कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रति–अपीलार्थी श्री विनोद कुमार यादव को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम देवरीकला प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 437/2 रकबा 1.600	

अपील- 2372 I/16 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, कुण्डम को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई है । अपीलार्थी को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से अपीलार्थी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय के उपरांत अपीलार्थी के पास 9.82 हैक्टर भूमि शेष बचेगी । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपीलार्थी को भूमि विक्रय कीअनुमति देने से उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-6-16 निरस्त किया जाता है एवं यह अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम देवरीकला प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 437/2 रकबा 1.600 हैक्टर को विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 2372–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	2– क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	